B.M.A College Baheri Darbhanga L.N.M.U

BA(Hons) part-II पेपर - IV

ANKIT Date 22.3.20 Page

Dr Manoj Kumar Sah
Deptt of Pol-Sci

संविधान से आप क्या समझते हैं

मानव शरीर के संदर्भ में 'संविधान' के अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द 'कान्सटीट्यूशन' का प्रयोग मानव शरीर के ढांचे व उसकी बनावट के लिए किया जाता है। जिस प्रकार मानव शरीर के संदर्भ में कान्सटीट्यूशन का अर्थ शरीर के ढांचे व उसकी गठन से होता है उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में कान्स्टीट्यूशन का तात्पर्य राज्य के ढांचे तथा संगठन से होता है। राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने संविधान की परिभाषाएँ अलग-अलग प्रकार से दी है जिनमें से कुछ प्रमुख निम्न प्रकार है—

गिलक्राइस्ट का कथन है कि "संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिसके द्वारा सरकार का गठन, सरकार की शक्तियों, विभिन्न अंगों के वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते है।

प्रो. डायसी के अनुसार → वे सब कानून संविधान में सम्मिलित होते है जिसका राज्य में प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग अथवा वितरण पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है।

ब्राइस → के शब्दों में संविधान ऐसे निश्चित नियमों का एक संग्रह होता है जिनमें सरकार की कार्यविधि प्रतिपादित होती है और जिनके द्वारा संचालन होता है।

चार्ल्स बोरगिस्ट का कहना कि संविधान एक आधारभूत कानून होता है जिसके द्वारा किसी राज्य की सरकार संगठित की जाती है और जिसके अनुसार व्यक्तियों अथवा नैतिक नियमों का पालन करने वाले समुदायों तथा समाज के पारस्परिक संबंध निर्धारित किए जाते है।

इन तथ्यों के आधार पर अपने शब्दों में संविधान की परिभाषा करते हुए कहा जाता है कि संविधान राजकीय आचरण का वह विधान होता है जिसके द्वारा व्यक्ति-व्यक्ति और व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक संबंध को निश्चित किया जाता है और जिसके द्वारा सरकार के विविध अंगों का स्वरूप एवं संगठन उसकी शक्ति और सरकार के विविध अंगों का पारस्परिक संबंध निश्चित किया जाता है।